[श्री ए० पी० सिन्हा]

दस्तावेज़ के महत्व को देखते हुये हमें इस की एक प्रति दी जानी चाहिये ।

श्री नन्दा : वह तो हो जायगा ।

श्री एस० एल० सक्सेना : तो इस प्रश्न पर वादविवाद कब होगा ?

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकें भी सितम्बर में होंगी । तब हम निश्चय कर लेंगे कि बाढ़ की स्थिति पर वादविवाद हो या न हो । पहले सार तथ्य इकट्ठे हो जाने दीजिये जैसे कि माननीय मंत्री ने अभी अभी कहा है ।

गोआ के सम्बन्ध में वक्तव्य

प्रधान मंत्री तथा वदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू) : इससे पूर्व कि मैं आपकी अनुमति से, उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण की कुछ घटनाओं के विषय पर एक संक्षिप्त विवरण दूं, मैं गोआ के सम्बन्ध में कुछ बाद के आंकड़े, अर्थात्, जो आंकड़े मैं ने कल दिये थे उनको ठीक करने के लिये देना चाहूंगा । ये आंकड़े १५ अगस्त को होने वाली घटनाओं सम्बन्धी हैं ।

कल मैंने बतलाया था कि १५ व्यक्तियों के मरने, २० के लापता होने, शेष के वापस लौट आने और बहुत से घायल हो जाने का समाचार मिला है बाद की सूचना यह है कि २० लापता व्यक्तियों में से १० और वापस आ गये हैं । १० के विषय में अभी भी पूरा पता नहीं है । किन्तु हमारी जानकारी यह है कि इन १० व्यक्तियों में से ७ को गोली से मार दिया गया है—यह १५ तारीख की बात है। इस प्रकार अब मृतकों की संख्या २२ समझी जाती है । अभी भी ३ व्यक्ति लापता हैं । हमे पता लगा है कि इन में से एक को पुर्तगाली सरकार द्वारा नज़रबन्द कर लिया गया है । दो व्यक्तियों के सम्बन्ध में हम नहीं कह सकते कि वे नज़रबन्द कर लिये गये हैं अथवा वे कहीं और हैं । घायलों की कुल संख्या २२५ है, जिसमें से लगभग ३८ व्यक्तियों के गहरी चोटें आने की खबर मिली है ।

उत्तर-पूर्वी सीमांत अभीकरण के बारे में वक्तव्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : हाल ही में लोकसभा में उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण के तुएनसांग खण्ड की स्थिति के विषय में बहुत से प्रश्न पूछे गये हैं । पिछले कुछ महीनों में नागा पहाड़ी ज़िला और तुएनसांग खण्ड के दक्षिण में सीमा पर यदा-कदा कुछ हिंसात्मक घटनायें घटी हैं । इनमें आक्रमणकारियों द्वारा छिपे छिपे किये गये हमले भी सम्मिलित हैं जिनमें कुछ आसाम राइफल के सैनिक, कुछ संख्या में आदिमजाति के द्विभाषी तथा अन्य ग्रामीण मारे गये थे । कुछ स्कूलों की इमारतें, मकान तथा कुछ गांव जला दिये गये थे और चिकित्सा सम्बन्धी सामान लूट लिया गया था । इस पर सरकार ने इस वर्ष मई में शिलांग ब्रिगेड की दो कम्पनियों को तुएनसांग में रक्षात्मक कार्यों के लिये भेजा था जिससे हिंसा करने वाले लोगों को घेरने में आसाम राइफल को साहयता मिल सके । टुकड़ियों का उपयोग संकार्य के लिये न करके केवल रक्षात्मक कार्यों के लिये किया गया है ।

कुछ दिन हुये हमें इनमें से कुछ उन नागाओं के बारे में और जानकारी मिली थी जो हिंसा और आग लगाने की कार्यवाहियों में भाग ले रहे थे । उन्होंने मारो और भागो

की चाल अपना रखी थी । तुएनसांग खण्ड के पोलिटीकल आफीसर ने, जो कि स्वयं भी नागा है, यह सूचना दी थी कि इस क्षेत्र में संगठित सशस्त्र गिरोह उपस्थित था जिसमें कुल मिला कर कुछ सौ व्यक्ति थे । इन गिरोहों के पास बन्दूकें तथा कुछ स्वयं-चालित हथियार थे । पोलिटीकल आफीसर को बहुत से गावों से अनेक प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि वे लोग इन गिरोहों द्वारा आतंकित कर दिये गये हैं । उन्होंने उत्तर-पूर्वी सीमा अभिकरण प्रशासन को सुझाव दिया कि कभी कभी होने वाली इन हिंसात्मक घटनाओं को तत्काल तथा प्रभावपूर्ण पायों से रोका जाना चाहिये । अतः उन्होंने असैनिक अधिकारियों को सैनिक सहायता दी जान की प्रार्थना की । राज्यपाल और उसके मंत्रणा-दाताओं ने इस सिफारिश पर विचार किया तथा उनकी सर्व सम्मति से यह राय हुई कि यह प्रार्थना स्वीकार की जानी चाहिये । इस कारण सरकार तुएनसांग सीमा खण्ड के दक्षिणी क्षेत्र के लिये सेना की टुकड़ी भेजने के लिये सहमत हो गई है । यह टुकड़ी स्थानीय असैनिक अधिकारियों के परामर्श से कार्य करेगी और हिंसात्मक कार्य करने वालों के घेरे जाते ही वापस बुला ली जायेगी । हत्या, लूट, आग लगाने और कुछ गांवों को आतंकित करने की घटनाओं को दृष्टि में रखते हुये इस कार्यवाही को आवश्यक समझा गया जिससे यह संकट और अधिक न बढ़ सके और आरम्भ में ही इस पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। सेना को यह निदेश दे दिया गया है कि वह अनुचित बल का उपयोग न करे ।

आदिम जाति के लोगों के लाभ के लिये सरकार साथ ही अपना आदिम जाति के क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम चला रही है । उनकी सामाजिक प्रथाओं और आदिम जाति के ढांचों में हस्तक्षेप न करने की हमारी नीति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है । अनुभव से पता लगा है कि इन क्षेत्रों से, जो हाल ही में प्राशासनीय नियंत्रण में लाये गये हैं, व्यवहार करने का अधिकतम प्रभावी ढंग सामुहिक योजनाओं को, वहां के लोगों के लिये अनुकूल बनाने के कारण यथोचित विभिन्नताओं के साथ, लागू करना रहा है । ये योजनायें जहां कहीं लागू की गई हैं वहां लोकप्रिय हो गई हैं और इन्होंने लोगों की प्रवृत्तियो को रचनात्मक तथा लाभप्रद कार्यों की ओर मोड़ दिया है । अधिकतर शिक्षित व्यक्ति और आदिम जाति के लोग सरकार को सहयोग दे रहे है । यहां तक कि कुछ नेता लोग, जिन्होंने पहले इन हिंसात्मक कार्यों को उकसाया था, अब हिंसात्मिक को छोड़ चुके हैं और उन्होंने हिंसात्मिक कार्यों में लगे हुये उन व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिये सरकार को वचन दिया है जो पिछले कुछ महीनों से जनता को आतंकित कर रहे हैं । अब तक हमारे लोगों की मृत्यु संख्या इस प्रकार है :—

मारे गये : पांच आसाम रायफल, दो दुभाषिये, दो लकड़हारे, एक कुली और बारह ग्रामीण ।

घायल : तीन आसाम रायफल दो कुली और पांच ग्रामीण ।

विरोधी व्यक्तियों में मृतकों की निश्चित संख्या अभी तक विदित है, अब तक की सूचनानुसार उनमें चौदह व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और बारह घायल हुये हैं ।

अब तक इन व्यक्तियों द्वारा आग लगाये जाने और लूट की कार्यवाही की जाने के परिणामस्वरूप हुई सम्पत्ति क्षति में साठ घर, पच्चीस खत्तियां, एक कार्यालय भवन और गोदाम और दो स्कूल जो जला दिये गये थे सम्मिलित हैं । चिकित्सा सम्बन्धी सामान

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

और एक औषधालय लूटा गया, आठ पुलियों को नुकसान पहुंचाया गया ।

विरोधी व्यक्तियों ने ग्रामीणों से पकड़े गये व्यक्तियों को छोड़ने के लिये धन वसूल किया जो प्राप्त सूचनानुसार २७०० रुपया था । जो टुकड़ियां तुएनसांग क्षेत्र में भेजी जा रही हैं वे १९ अगस्त को अपना स्थान ले लेंगी ।

समवाय विधेयक—(जारी)

अध्यक्ष महोदय: अब सभा समवाय विधेयक पर आगे विचार करेगी ।

२५ घंटे के नियत समय में से अब चार घंटे और कुछ मिनट शेष हैं । माननीय वित्त मंत्री उत्तर देने में कितना समय लेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): अस्सी या नब्बे मिनट ।

अध्यक्ष महोदय: इसका अर्थ है डेढ़ घंटा और फिर हमारे पास ढाई घंटा बचेगा । कल मैं सोच रहा था कि क्या इस समय को बढ़ा न दिया जाय । इस के साथ ही मैं सोच रहा था कि क्या हम यह चर्चा आज सारे दिन जारी रख सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप हमें डेढ़ घंटा या अधिक समय मिल जायगा । यदि माननीय वित्त मंत्री कल उत्तर दें तो वह डेढ़ घंटा भी नियत समय में सम्मिलित हो जायगा ।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मेरा सुझाव है कि कल गैर सरकारी सदस्यों के कार्य से पूर्व हमें ढाई घंटा मिलता है अतएव हम आज का सारा दिन और कल का एक घंटा चर्चा के लिये और शेष डेढ़ घंटा माननीय मंत्री के उत्तर के लिये रख सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय: इसका अभिप्राय है कि डेढ़ घंटा आज, डेढ़ घंटा कल और डेढ़ घंटा वित्त मंत्री के उत्तर के लिये अर्थात् ये कुल मिला कर साढ़े चार घंटे हुये ।

मैं चाहता था कि इससे जल्दी समाप्त कर दिया जाय फिर भी इस सम्बन्ध में मैं पूर्णतया सभा के अधीन हूं और समझता हूं कि यदि आज हम बैठक को एक घंटा और बढ़ा लें तो अच्छा रहेगा ।

श्री मती सुचेता कृपालानी (नई दिल्ली): आज एक प्रवर समिति की बैठक है ।

अध्यक्ष महोदय: यह तो प्रति दिन ही होगा । अतः हम पहला सुझाव मान लें अर्थात् आज हम इस पर सारे दिन विचार करें और वित्त मंत्री कल उत्तर दें । यदि आवश्यक होगा तो हम आज आधा घंटा अधिक बैठ सकते हैं ।

श्री बी० के० रे (कटक) : कल मैं अंशधारियों के अधिकारों को दिये गये संरक्षण सम्बन्धी उपबन्धों के विषय में कह रहा था ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

यद्यपि मैं यह शिकायत नहीं करता कि उत्तर उपबन्ध अप्रभावी है परन्तु मेरा यह विचार है कि यह सब होते हुये भी वे समय की आवश्यकता पूर्ण नहीं करते ।

सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिये कि अंशधारी कौन हैं? वे साधारण जन हैं, उनके छोटे-छोटे अंश हैं और व्यापार के मुख्य केन्द्र से बहुत दूर गांवों में रहते हैं । इस प्रकार वे उस आवश्यक जानकारी से कदाचित् ही भिज्ञ हो पाते हैं जिस पर वे अपने अंशों के अधिकारों की देख भाल कर सकें। हो सकता है इस सम्बन्ध में विधियां हों परन्तु केवल विधियां ही हमें संरक्षण प्रदान नहीं करतीं । जो लोग उन्हें लागू करते हैं उन्हें इस बारे में सतर्क रहना चाहिये और देखना चाहिये कि उनका पालन हो । उपबन्धों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं